

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या: दस-334(वरिष्ठता)-2013 दिनांक: अक्टूबर 29, 2014

सेवा में,

- 1— समस्त विभागाध्यक्ष अजनपदीय शाखा, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय: आरक्षी स०पु० से मुख्य आरक्षी स०पु० के पद पर वरिष्ठता के आधार पर (अनुपयुक्तों को छोड़कर) पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत करने एवं मुहर बन्द लिफाफे का रख-रखाव/निस्तारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि दिनांक 01.01.1972 से 31.12.1977 के मध्य भर्ती आरक्षी स0पु0 से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2008 यथा संशोधित (षष्ठम संशोधन)-2014 में निहित प्रावधानों एवं शासन के पत्र संख्या: 3635 / छ:-पु-1-13-115 / 08 दिनांक 09.01.2014 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त सेवा नियमावली के नियम-17 व 22 के शिथिलीकरण के अनुसार उपरोक्त पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पादित करायी गयी है।

2. चयन समिति की संस्तुतियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2008 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन)-2009 के नियम-3 (ख) के अनुसार आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के नियक्त प्राधिकारी “पुलिस अधीक्षक” है।

3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-तीन-1(1)2014 दिनांक 22.10.2014 द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के अनुमोदन हेतु भेजा गया था। चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसे पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उ0प्र0 के पत्रांक:डीजी-चार-110(242)2008, दिनांक 28.10.2014 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। आरक्षी स0पु0 से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मी, कर्मी जिनकी संस्तुतियाँ मुहर बन्द लिफाफा में रखी गयी है एवं कर्मी जिनके सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी उपयुक्तता पर विचार नहीं हो सका है, का संख्यात्मक विवरण संलग्न है।

4. चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों को मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है एवं जिन कर्मियों के विरुद्ध शासनादेश संख्या:13 / 21 / 89—क—1—1997 दिनांक: 28.05.1997 के प्रस्तर—2(क)(ख)(ग) में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान होने के आधार पर उनके चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है उनकी अलग—अलग सूचियाँ एवं सम्बन्धित मुहर बन्द लिफाफे मूल रूप में निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है:-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत करने से पूर्व संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्तमान में कर्मी निलम्बित नहीं है।

(2) यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में प्रस्तर-4(1) में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित कर्मियों को संलग्न प्रारूप (ख) के अनुसार उनके मुख्य आरक्षी स0पू0 के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा वे नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।

- (3) यदि सम्बन्धित कर्मी जनपद/इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया हो तो तत्काल अपने स्तर से उसके नवनियुक्त जनपद/इकाई को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अवगत करायें तथा पुलिस मुख्यालय को भी सूचित करें।
- (4) यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में प्रस्तर-4(1) में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति आदेश निर्गत न किये जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।
- (5) पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2008 यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विहित किया जायेगा। इनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।
- (6) चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों के प्रकरण को शासनादेश संख्या 13/21/89 –क-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के प्रस्तर-2(क)(ख)(ग) में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान होने के आधार पर उनके चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है, उनके मुहर बन्द लिफाफे को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा।
- (7) जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफों में रखा गया है, उन कारणों से सम्बन्धित कर्मियों को अवगत कराया जायेगा तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों में दर्शाये गये तथ्यों की अद्यावधिक स्थिति ज्ञात कर शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार उनके निस्तारण के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
- (8) पूर्ववर्ती चयनों के आधार पर मौलिक रूप में मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर कार्यरत मुख्य आरक्षी वर्तमान चयन में प्रोन्नत किये जा रहे मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता नियमों के अनुसार पृथक रूप से निर्धारित की जायेगी।

दिनांक 01.01.1972 से 31.12.1977 के मध्य भर्ती समस्त आरक्षी, जो चयन समिति द्वारा मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये हैं, कि वरिष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी:-

- 1— पूर्ववर्ती “वर्ष (बैच)” में चयनित आरक्षी पश्चात्वर्ती “वर्ष (बैच)” में चयनित आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होंगे।
 - 2— पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका “वर्ष (बैच)” समान है, उनमें जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चात्वर्ती तिथि में आरक्षी पद पर भर्ती हुए कर्मियों से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होंगे।
 - 3— पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका “वर्ष (बैच)” समान है, तथा जिनका आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो, उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी स0पु0 के प्रशिक्षण में कुल प्राप्ताकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
 - 4— पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका “वर्ष (बैच)” समान है, तथा जिनका आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो, तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्ताकों के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता बाह्य प्रशिक्षण के प्राप्ताकों के आधार पर, तथा बाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मतिथि की वरीयता देते हुए निर्धारित की जायेगी।
- (9) चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनके पदोन्नति प्रकरण को अविचारित रखा गया है, उन कर्मियों के सेवा अभिलेख 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कराकर बोर्ड-प्रपत्र-3 में सूचनाएँ/विवरण चरित्र पंजिका सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5. चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों एवं जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है उनकी सूचियाँ उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-Armed-police> पर प्रकाशित की गयी हैं।

6. अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार डाउन लोड कर प्रारूप (क) के अनुसार घोषणा—पत्र प्राप्त कर प्रारूप (ख) के अनुसार पदोन्नति आदेश निर्गत करते हुये अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायें। यदि किसी कर्मी का पदोन्नति आदेश निर्गत न हो पाये तो इस सम्बन्ध में अद्वै शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाय।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(भगवान् स्वरूप)
(भगवान् स्वरूप)
28/10/11

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना /
पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जोन के चयनित, बन्द लिफाफे एवं अविचारित प्रकरणों से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करने हेतु जोन से एक उप निरीक्षक, ना0पु0, जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित हों को दिनांक 30.10.2014 तक पुलिस मुख्यालय भेजने का कष्ट करें।
- 2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 3— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यदि किन्हीं कारणों से जनपद में वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित जनपद के पदोन्नति आदेश निर्गत करने हेतु अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत किसी जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को अधिकृत करने का कष्ट करें।
- 4— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अजनपदीय शाखा के चयनित, बन्द लिफाफे एवं अविचारित प्रकरणों से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करने हेतु अपने मुख्यालय से एक उप निरीक्षक, जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित हों को दिनांक 30.10.2014 तक पुलिस मुख्यालय भेजने का कष्ट करें।
- 5— पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
- 6— निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
- 7— आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 8— पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 9— पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
- 10— पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
- 11— पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिक्षान उ0प्र0 लखनऊ।
- 12— पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
- 13— पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
- 14— अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस केन्द्रीय वस्त्र भण्डार, कानपुर।
- 15— संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
- 16— सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 17— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
- 18— संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 19— मुख्य कार्यपालक, अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, गौतमबुद्ध नगर।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने स्तर से भी समस्त सम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही समय से पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।